भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/213/2016/एफ0 सी0/522 दिनांकः 06/08/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– अल्मोड़ा के अन्तर्गत में जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा से ठाठ गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.17 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/15504/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 260/FP/UK/ROAD/15504/2015 दिनांक 29-07-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/09/2016 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात पत्र दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुत की है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. राज्य सरकार द्वारा alternate alignment का सही परीक्षण नहीं किया गया है क्योंकि आस–पास नाप भूमि की अधिकता है ज़िसका उपयोग road alignment के लिये किया जा सकता है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बाबत अपनी टीप प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में एक मार्ग पूर्व से ही निर्मित प्रदर्शित हो रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस मार्ग के निर्माण की जानकारी जैसे इसका निर्माण कब एवं किसके द्वारा किया गया था तथा FC Act (1980) के तहत् ली गई स्वीकृति, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. मलबा निस्तारण हेतु नाप भूमि का चयन किया गया है, किन्तु योजना मे उपलब्ध गणना सही प्रतीत नहीं होती है और न ही dispose किये जाने वाले मलबे की गणना dumping yard की capacity से मेल खाती है। अतः राज्य सरकार संशोधित मलबा निस्तारण योजना प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. मार्ग के समरेखण हेतु 9 मीटर चौड़ाई के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गणना की गई है, साथ ही वृक्षों की गणना भी 9 मीटर पर की गई प्रतीत होती है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि नियमानुसार 7 मीटर पर वृक्षों की गणना कर सूची इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. पूर्व में आनलाईन पोर्टल पर भाग 114 वृक्ष दर्शाये गये थे जिनमें 0–30 गर्थ अथवा सैपलिंग को छोड़ दिया गया था जो कि enumeration के अनुसार 105 थे। राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी को सम्मिलित करते हुये आनलाईन पोर्टल पर दर्शाने का कष्ट करें।

6. शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना हेतु घने वन की श्रेणी अनुसार दर लगाई गई है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार वृक्षों के enumeration को 7 मीटर पर की गई गणना अनुसार करने के उपरान्त यथानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. राज्य सरकार guideline के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के डी0एस0एस0 विश्लेषण के अनुसार, कुल 2.34 है0 क्षेत्र में से 1.0 है MDF एवं 1.0 है0 VDF पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर आनलाईन जानकारी को replace करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

06/08/24

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

06/08/24

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा.

पत्रांक 695 /12-1 दि0 12/8/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा.